



RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD.

(Corporate Identity Number (CIN):U40109RJ2000SGC016485)

VIDYUT BHAWAN, JANPATH, JYOTI NAGAR, JAIPUR – 302 005.

Ph:0141-2740381-85/ website: www.energy.rajasthan.gov.in/rvpnl

No.RVPNL/Karmik/Mediclaim/F.70(pt.VII)/D. 569

Jaipur, dated 22/12/2020

अधीक्षण अभियन्ता (),
रा.रा.वि.प्र.नि.लि.,


विषय:— दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों की अंग
विच्छेद (amputation) के दावों की सूचना चाहने बाबत।

संदर्भ:— अतिरिक्त निदेशक (मेडि.), सा.बी.नि., जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक
एफ.1(234)/मेडि/विद्युत निगम पत्राचार/20-21/1074 दिनांक
23.11.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में अतिरिक्त निदेशक (मेडि.), सा.बी.नि., जयपुर
से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए लेख है कि आप उन कर्मचारियों के मेडीक्लेम
दावों की सूचना निम्न प्रारूप में, इस कार्यालय को अतिशीघ्र भिजवाने का श्रम करें
जिनका अंग पार्थक्य (amputation) हुआ है।

S. No.	Name of Employee/ Desination	Gender	Date of claim submission at State Insurance & PF Department, Jaipur	Place of posting /controlling officer
--------	------------------------------	--------	---	---------------------------------------


संलग्न:— उपरोक्तानुसार।


(अमिताभ गुप्ता)
22/12/2020

मुख्य कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. मुख्य अभियन्ता, (), रा.रा.वि.प्र.नि.लि.,
2. कार्मिक अधिकारी, (), रा.रा.वि.प्र.नि.लि.,


(रामेश्वर अहारी)

संयुक्त निदेशक कार्मिक

SECRETARY (Admin) RRVPNL
/ No. 4357 Dt. 16/12/20

REC-069-1012
18/12/20

भीम
Bhim

PS/CMD/TA No. 7698
Date: 16/12/2020

राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
(साधारण बीमा निधि)

द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302005

फोन:- 2740219, 2740252, 2740292 (फैक्स)

email: add.medi.sipf@rajasthan.gov.in

website: www.sipf.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- एफ.1 (234)/मेडि/विद्युत निगम पत्राचार/20-21/

प्रबंध निदेशक

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड,
जयपुर

1074
23/11/2020

दिनांक:-
R. R. No. CPO/RVPNL/2566
Dated: 18/12/2020

विषय:- दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों की अंग विच्छेद
(amputation) के दावों की सूचना चाहने बाबत।

CPO
Jy
18/12/20
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा पांचों विद्युत कम्पनियों के दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिए मेडिकलेम बीमा का संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत मेडिकलेम दावों का पुनर्भरण किया जाता है। कृपया निगम में कार्यरत उन कर्मचारियों के मेडिकलेम दावों की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का श्रम करें जिनका अंग पार्थक्य (amputation) हुआ है।

Om/18/12
JSP/PO(48)
18/12

Alok Jy
18/12/2020

भवदीया
(शिप्रा विक्रम)
अतिरिक्त निदेशक (मेडि)
सा.बी.नि, जयपुर

C.P.O.